LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRIRTORY OF DELHI

PRESS RELEASE

05.12.2015

Summary of the proceedings of the Second Session of the Sixth Legislative Assembly:

The House held eleven sittings during the Second Session (Winter Session) of the Sixth Assembly. This session commenced on 18 November 2015 and was adjourned sine die on 04 December 2015.

Incidentally this was the longest winter session that this House has witnessed.

During these eleven sittings the house conducted business for 43 hours and 30 minutes against scheduled 38 hours and 30 minutes and more than made up for the floor time lost due to disturbances and interruptions.

Questions: A total of 253 notices of questions were received for this session for question hour scheduled for six days. Out of these 116 notices of starred questions and 104 notices of unstarred questions were admitted.

47 starred questions and 98 supplementary questions were asked and replied to in the House.

Unfortunately some Departments had not given due seriousness to Assembly Questions and replies of these Departments were not submitted in time. The Chair directed that the Privileges Committee enquire into this lapse and recommend necessary action.

Special Mention (Under Rule 280): 244 notices for Special Mention were received for this session. 96 matters were raised in this session under rule 280. The departments have been directed to reply to the matters raised by the Hon'ble Members within 30 days.

Short Duration Discussion (Under Rule 55): 42 Notices for short duration discussion were received during the session. The House discussed the following two subjects:

1. Unauthorised Colonies: 8 Members participated in the discussion initiated by Shri Jagdish Pradhan on condition of unauthorised colonies held on 18.11.2015. The Deputy CM replied to the debate.
2. Rising intolerance in the country: 4 Members participated in the discussion initiated by Shri Rajesh Gupta on the issue of rising intolerance in the country. The discussion was held on 18.11.2015. Minister of Home replied to the debate.

The discussions were held for 2 hours and 2 minutes.

Calling Attention Motion (Under Rule 54): 28 Notices for Calling Attention Motions were received during the session. The following issues were raised in the House:

Incidence of fire in *jhuggis:* Shri Ajesh Yadav called the attention of the Government regarding the incidence of fire in his constituency in which five persons of a family were killed. The Hon'ble Dy CM replied.

1. Increasing pollution in Delhi: Shri Jagdish Pradhan called the attention of the Government regarding the problems being caused due to

increased pollution. The Hon'ble Minister of Food and Supplies and the Hon'ble Minister of Transport replied.

2. Shortage of night shelters in Delhi: Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition raised the issue of shortage of night shelters in Delhi. The Hon'ble Dy CM replied.

3. Recruitment process by Delhi Subordinate Services Selection Board: Shri Rajender Pal Gautam called the attention of the Government towards the slow recruitment process of Delhi Subordinate Services Selection Board Three other members also participated in the debate. Hon'ble Deputy CM replied. The discussion continued for 10 minutes.

4. Thana Level Committees: Shri Somnath Bharti called the attention of the Government towards the non-constitution of Thana Level Committees by the Delhi Police. Five other members participated in the debate. The Minister of Home replied to the debate. The discussion continued for 18 minutes.

Private Members Resolutions: 21 notices were received from the Members for Private Members Resolutions. Two Fridays i.e. 20.11.2015 and 27.11.2015 were earmarked for Private Members Resolutions. The following Resolutions were discussed in the House:

1. Shri Vijender Gupta moved the resolution "This House resolves that the MLA Local Area Development Fund and Councilors Area Development Fund be allowed to be used inside the Co-operative Group Housing Society complex" on 20.11.2015. Four members participated in the discussion.

The House adopted the following amended resolution moved by Shri Nitin Tyagi, *"The Member of Parliament Local Area Development Fund and Councillor's Area Development Fund be allowed to be used inside the Co-operative Housing Society Complex, just as the way MLA Local Area Development Fund is being allowed to be used for said purpose."*

The debate was held for 54 minutes.

2. Shri Somnath Bharti moved the following Resolution on 20.11.2015: *"This House resolves that the three Municipal Corporations of Delhi be dissolved and fresh elections be held immediately due to the failure of the Corporations to fulfill the constitutional and statutory mandate of providing basic civic amenities to the people of Delhi."* Three other members participated in the debate. The Hon'ble Dy Chief Minister replied to the debate and appealed to Shri Somnath Bharti to withdraw the resolution with the assurance that the MCDs will be impressed upon to improve their working. The resolution was withdrawn by Shri Somnath Bharti. The debate was held for 54 minutes.

3. Shri Somnath Bharti moved the following Resolution on 27.11.2015: *"This House resolves that the Union Government be requested to reverse its decision of allotting land meant for school purpose at Deen Dayal Upadhyaya Marg to the Bharatiya Janta Party and instead a school in the memory of Dr. APJ Abdul Kalam be built on this site."* Five other members participated in the debate. The Hon'ble Minister of Transport replied to the debate and the resolution was adopted by the House. The debate was held for 1 hour and six minutes

Besides the above the House also adopted the following Resolution moved by Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Home and PWD on 02.12.2015 *"This House resolves that no member of the House shall either demand or give dowry for his or her own marriage or for his family members and shall not*

attend marriages where they are aware that dowry has been demanded or given.

This House also resolves that the Government shall take all steps to encourage, motivate and support those persons who want to promote dowry free marriages."

The Resolution had been moved during the course of debate on a Statement by Shri Kapil Mishra, Hon'ble Minister of Tourism. The debate was held for 14 minutes

Motions (Under Rule 107): The House adopted the following Motions in the current session:

1. *"That this House decides that the unfortunate incident of 24.11.2015 wherein Shri Om Parkash Sharma, a Member of this House made derogatory remarks against a woman Member of this House be referred to the Ethics Committee of the House for consideration, investigation and report. The Committee shall have full freedom to decide on the procedure to be followed in the matter and shall submit its report before the first sitting of the next session."* The Motion was moved by Shri Kapil Mishra, Hon'ble Minister of Tourism and adopted by the House.
2. *"That this House condemns the derogatory remarks made against the Hon'ble Speaker by Shri Om Parkash Sharma both within the House as well during his interaction with the media; and this House decides that Shri Om Parkash Sharma be suspended from the sitting of the House for the entire duration of the ongoing session."* The Motion was moved by Shri Kailash Gahlot and adopted.
3. *"In pursuance of the recommendations contained in the First Report of the Ethics Committee of Sixth Legislative Assembly, this House decides that Rs.18560/- be recovered from the pay of Shri Om Parkash Sharma towards the cost incurred in replacing the mike damaged by him. This House also warns Shri Om Parkash Sharma not to resort to such misconduct in the House again."* The Motion was moved by Ms. Bhawna Gaur and adopted by the House.

Congratulatory Motion (Rule-114): The House adopted the following motion moved by Shri Anil Kumar Bajpai on 27.11.2015:

"This House expresses its gratitude to Shri Kapil Mishra, Minister of Tourism & Water for bringing back the belongings of former President of India (Late) Dr. APJ Abdul Kalam from his village in Tamilnadu and proposing to build a memorial in his memory in Delhi."

Four other members and Shri Kapil Mishra, Minister of Tourism participated in the discussion which lasted for 34 minutes.

Committee Reports: The House adopted the following Reports of the House Committees:

1. Second Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions
2. First Report of the Ethics Committee
3. First & Second Report of the Privileges Committee

Papers laid: The Ministers laid 19 papers (Reports/Notifications etc) on the Table of the House including the Report of the Fourth Finance Commission alongwith its Explanatory Memorandum (ATN).

Legislation: The House passed the following 15 Bills during the current session:

1. Delhi School (Verification of Accounts and Refund of Excess Fee) Bill, 2015
2. Delhi School Education (Amendment) Bill, 2015 (Bill No.10 of 2015)
3. The Right of Children to Free and Compulsory Education (Delhi Amendment) Bill, 2015
   (The three Bills on the education subject were considered and adopted on 01 December 2015. The debate on these bills was held for 4 hours and 8 minutes.)
4. The Code of Criminal Procedure (Delhi Amendment) Bill, 2015: The Bill was passed on 23 November 2015. The debate on this Bill was held for 2 hours and 7 minutes.
5. The Delhi (Right of Citizen to time Bound Delivery of Services) (Amendment) Bill, 2015: The Bill was passed on 26 November 2015. The debate on this Bill was held for 2 hours and 32 minutes.
6. Minimum Wages (Delhi) Amendment Bill, 2015.
7. The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Bill, 2015:
   (These two Bills of the Labour Department were considered and adopted on 3 December 2015. The debate on these Bills was held for 1 hour and 58 minutes.)
8. Appropriation (No.3) Bill, 2015: The Bill was passed on 01 December 2015 alongwith supplementary grants.
9. The Members of Legislative Assembly of National Capital Territory Of Delhi (Salaries, Allowances, Pension etc.)(Amendment) Bill, 2015
10. "The Ministers Of National Capital Territory Of Delhi (Salaries And Allowances)(Amendment) Bill, 2015
11. The Speaker and Deputy Speaker Of The Legislative Assembly Of The National Capital Territory Of Delhi (Salaries And Allowances)(Amendment) Bill, 2015
12. The Leader Of Opposition In The Legislative Assembly Of The National Capital Territory Of Delhi (Salaries And Allowances)(Amendment) Bill, 2015
13. The Salary and Allowances of The Chief Whip In Legislative Assembly Of The National Capital Territory Of Delhi (Amendment) Bill, 2015
   (These Bills relating to the Salary and allowances of MLAs, Ministers etc., were considered and passed on 03 December 2015. The debate on these bills was held for 2 hours 30 minutes.)
14. The Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2015:
   (The Bill was considered and passed on 04 December 2015. The debate on these bills was held for 12 minutes)
15. The Delhi Janlokpal Bill, 2015: The Bill was considered and adopted on 04 December 2015. The debate on this Bill was held for 4 hours and 16 minutes.

Obituary References The House paid homage to the persons who had lost their lives due to recent terrorist attack in Paris and victims of the cyclone in Tamilnadu. The House also paid respects to Col. Santosh Mahadik of the Indian Army, who was martyred in Kupwara, Jammu & Kashmir on 17.11.2015. On 26.11.2015 the House paid respects to the victims of the Mumbai terrorist attack in 2008.

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

05 दिसम्बर, 2015

प्रेस विज्ञप्ति
छठी विधान सभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही का सारांश

विधान सभा का यह सत्र 18 नवम्बर, 2015 को आरम्भ हुआ था और 04 दिसम्बर, 2015 को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ। कुल मिलाकर इसकी 11 बैठकें हुईं। उल्लेखनीय है कि यह विधान सभा का अब तक का सबसे लम्बा शीतकालीन सत्र था। सदन की 11 बैठकों के दौरान समय का पूर्ण सदुपयोग किया गया और निर्धारित समय 38 घण्टे 30 मिनट की अपेक्षा कार्यवाही 43 घण्टे 30 मिनट तक चली। इस प्रकार जो समय कार्यवाही में व्यवधान के कारण खराब हुआ था, उसे निर्धारित समय से 5 घण्टे अधिक कार्यवाही संचालित करके पूरा कर लिया गया।

प्रश्न :

इस सत्र में कुल 253 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 116 तारांकित प्रश्न और 104 अतारांकित प्रश्नों को स्वीकार किया गया। सदन में 47 तारांकित प्रश्नों को सदस्यों द्वारा पूछा गया और उन पर 98 पूरक प्रश्न पूछे गये। कुछ विभागों ने विधान सभा के प्रश्नों को लेकर गम्भीरता नहीं दिखाई थी और समय पर उत्तर सचिवालय को नहीं भिजवाये थे। इस विषय की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

विशेष उल्लेख के माध्यम से सदस्य प्रभावशाली ढंग से अपनी समस्याओं को उठा सकते हैं। नियमानुसार इस सत्र में विशेष उल्लेख की 244 सूचनायें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 96 मामलों को सदस्यों द्वारा सदन में उठाया गया। सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे 30 दिनों के अंदर माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मामलों के उत्तर भिजवा दें।

अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :

अल्पकालिक चर्चा के लिए 42 नोटिस प्राप्त हुये थे। सदन में दिनांक 18 नवम्बर 2015 को निम्नलिखित दो विषयों पर चर्चा हुई :-

1. अनधिकृत कालोनियां: श्री जगदीश प्रधान द्वारा प्रारम्भ की गई इस चर्चा में 8 सदस्यों ने भाग लिया।
2. देश में बढ़ती असहिष्णुता: श्री राजेश गुप्ता द्वारा प्रारम्भ की गई इस चर्चा में 4 सदस्यों ने भाग लिया।

दोनों चर्चाओं में 2 घण्टे 2 मिनट का समय व्यतीत हुआ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (नियम-54) :

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 28 सूचनायें प्राप्त हुईं थी। इनमें से अपने विधान सभा क्षेत्र में झुग्गियों में आगजनी की घटना के प्रति श्री अजेश यादव ने, दिल्ली में प्रदूषण की बढ़ती समस्या के प्रति श्री जगदीश प्रधान ने, दिल्ली में रैन बसेरों की कमी के प्रति श्री विजेन्द्र गुप्ता ने, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की धीमी प्रक्रिया के प्रति श्री राजेन्द्र पाल गौतम ने तथा थाना स्तरीय समितियों का गठन न होने के संबंध में श्री सोमनाथ भारती ने सदन का ध्यान आकर्षित किया।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प :

शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर,2015 तथा 27 नवम्बर, 2015 के दिन गैर सरकारी सदस्यों के कार्य हेतु नियत किये गये थे। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए 21 सूचनायें प्राप्त हुई थी। इनमें से निम्नलिखित संकल्पों पर सदन में चर्चा हुई :-

1. श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 20 नवम्बर, 2015 को संकल्प प्रस्तुत किया कि:
"यह सदन संकल्प करता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा पार्षद क्षेत्र विकास निधि को सहकारिता समूह आवासीय समिति परिसर में खर्च करने की अनुमति दी जाए।"
सदन ने श्री नितिन त्यागी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संशोधित संकल्प को स्वीकार किया :-
"सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि तथा पार्षद क्षेत्रीय विकास निधि को सहकारी समूह आवासीय समिति परिसर में उसी प्रकार प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाये जिस प्रकार इस उद्देश्य के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास निधि को प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है।"
इस संकल्प पर 54 मिनट चर्चा हुई और 4 सदस्यों ने भाग लिया।

2. श्री सोमनाथ भारती ने दिनांक 20 नवम्बर 2015 को संकल्प प्रस्तुत किया कि :
"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के लोगों को बुनियादी नागरिक सुविधायें प्रदान करने के संवैधानिक और वैधानिक जनादेश को पूरा करने में निगमों के असफल रहने के कारण दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भंग किया जाए और तुरंत चुनाव कराए जाएं।"
उप मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा उनके इस अनुरोध पर कि दिल्ली नगर निगमों को कार्यप्रणाली सुधारने के लिए कहा जायेगा, श्री सोमनाथ भारती ने अपना संकल्प वापिस ले लिया।
इस संकल्प पर 54 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 3 अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।

3. श्री सोमनाथ भारती ने दिनांक 27नवम्बर 2015 को संकल्प प्रस्तुत किया कि :
"यह सदन संकल्प करता है कि केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाये कि वह दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्कूल के लिए निर्धारित भूमि को भारतीय जनता पार्टी को देने के निर्णय को वापस ले और वहां पर डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम की स्मृति में स्कूल बनाया जाए।"
परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प स्वीकार हुआ। इस संकल्प पर 1 घण्टा 6 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 5 अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया।

इसके अतिरिक्त सदन में श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 02 दिसम्बर 2015 को निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

"यह सदन संकल्प करता है कि इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की शादी में न तो दहेज की मांग करेगा, न दहेज देगा तथा न ही ऐसे विवाह में सम्मिलित होगा जहां उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि दहेज की मांग की गई है या दहेज दिया गया है।
यह सदन यह भी संकल्प करता है कि सरकार उन व्यक्तियों को प्रोत्साहन, प्रेरणा और समर्थन देने के लिए सभी कदम उठायेगी जो दहेज मुक्त विवाह को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।"
यह संकल्प श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
इस संकल्प पर 14 मिनट चर्चा हुई

नियम-107 के अंतर्गत प्रस्ताव :-

इस सत्र में निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया :
1. *यह सदन निर्णय करता है कि दिनांक 24 नवम्बर 2015 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें इस सदन के सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सदन की एक महिला सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की, उक्त मामले*

को विचार, जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदन की आचरण समिति को सौंप दिया जाये। समिति को इस विषय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा यह समिति आगामी सत्र की प्रथम बैठक से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

श्री कपिल मिश्रा, माननीय पर्यटन मंत्री ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।

2. *यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अध्यक्ष महोदय के विरूद्ध सदन में तथा मीडिया के साथ वार्तालाप के दौरान की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करता है, और*

यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को वर्तमान सत्र की पूर्ण अवधि के लिए निलम्बित किया जाये।

श्री कैलाश गहलोत ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।

3. *छठी दिल्ली विधानसभा की आचार समिति के प्रथम प्रतिवेदन में वर्णित सिफारिशों की अनुपालना में, यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के वेतन से 18560/- रूपये उनके द्वारा तोड़े गये माइक को बदलने में आई लागत के लिए वसूले जायें। यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी भी देता है कि सदन में पुन: इस प्रकार का कदाचार न करें।*

सुश्री भावना गौड़ ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था।

बधाई प्रस्ताव (नियम-54) :

सदन ने दिनांक 27 नवम्बर 2015 को श्री अनिल कुमार बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकार किया :

यह सदन श्री कपिल मिश्रा, पर्यटन तथा जल मंत्री को पूर्व राष्ट्रपति स्व. डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सामान को तमिलनाडु में उनके गांव से वापस लाने तथा उनकी याद में स्मारक बनाने का प्रस्ताव करने पर बधाई देता है।

इस प्रस्ताव में 4 सदस्यों के अतिरिक्त श्री कपिल मिश्रा, पर्यटन मंत्री ने भी भाग लिया तथा 34 मिनट चर्चा चली।

समिति के प्रतिवेदन :-

सदन में निम्नलिखित समितियों के प्रतिवेदनों पर सहमति व्यक्त की गई :

1. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन
2. आचार समिति का प्रथम प्रतिवेदन
3. विशेषाधिकारी समिति का प्रथम तथा द्वितीय प्रतिवेदन

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :

सरकार के मंत्रियों ने अपने विभागों से संबंधित 19 अधिसूचनाओं तथा प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन पटल पर रखीं, जिनमें चौथे दिल्ली वित्त आयोग का प्रतिवेदन और इस पर व्याख्यात्मक ज्ञापन उल्लेखनीय है।

विधायी कार्य :

शीतकालीन सत्र में निम्नलिखित 15 विधेयकों को प्रस्तुत तथा पारित किया गया :

1 दिल्ली विद्यालय (लेखों की जांच और अधिक फीस की वापसी) विधेयक, 2015

2 दिल्ली विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

3 नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

(शिक्षा विभाग से संबंधित इन विधेयकों को दिनांक 01 दिसम्बर 2015 को पारित किया गया तथा इन पर 4 घण्टे 8 मिनट चर्चा हुई।)

4 दंड प्रक्रिया संहिता (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

(उपरोक्त विधेयक 23 नवम्बर 2015 को पारित हुए तथा इन पर 2 घण्टे 07 मिनट तक चर्चा हुई।)

5 दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) (संशोधन) विधेयक, 2015

(उपरोक्त विधेयक 26 नवम्बर 2015 को पारित हुए तथा इन पर 2 घण्टे 32 मिनट तक चर्चा हुई।)

6 न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक, 2015

7 कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2015

(श्रम विभाग से संबंधित ये विधेयक 03 दिसम्बर 2015 को पारित हुए तथा इन पर 1 घण्टा 58 मिनट चर्चा हुई।)

8 विनियोजन (संख्या-03) विधेयक, 2015

(यह विधेयक दिनांक 01 दिसम्बर 2015 को पारित किया गया।)

9 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों के (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2015

10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रियों के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

11 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

12 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2015

13 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के मुख्य सचेतक के वेतन एवं भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधायको तथा मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित विधेयको को 03 दिसम्बर 2015 को पारित किया गया तथा इन पर 2 घण्टे 30 मिनट चर्चा हुई।)

14 दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर तृतीय संशोधन अधिनियम, 2015

(यह विधेयक 04 दिसम्बर 2015 को पारित किया गया तथा इस पर 12 मिनट चर्चा हुई।)

15 दिल्ली जन लोकपाल विधेयक, 2015

(यह विधेयक 04 दिसम्बर 2015 को पारित किया गया तथा इस पर 4 घण्टे 16 मिनट चर्चा हुई।)

निधन संबंधी उल्लेख :

सदन ने पेरिस में हुए आतंकी हमले के कारण जान गंवाने वाले व्यक्तियों, तमिलनाडु में चक्रवात के पीड़ितों, कुपवाड़ा (जम्मू एंड कश्मीर) में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक तथा मुम्बई में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों की स्मृति में दो मिनट का मौन धारण किया तथा श्रद्धांजलि दी गई।

सदन के समय का पूर्ण सदुपयोग :

यह सत्र अपने आप में उल्लेखनीय था। 43 घण्टे 30 मिनट तक चली कार्यवाही में सारा सूचीबद्ध कार्य पूरा किया गया। सदन में 47 प्रश्न पूछे गये और उन पर 98 पूरक प्रश्न पूछे गये, नियम 280 के 96 मामले उठाये गये, दो अल्पकालिक चर्चाएं हुईं, 15 विधेयक पेश हुए व पारित हुए, पांच ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, गैर सरकारी सदस्यों के तीन संकल्प प्रस्तुत किये गये, जिनमें से दो पारित हुए, नियम-107 के अंतर्गत तीन प्रस्ताव स्वीकार किये गये, एक बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा समितियों के तीन प्रतिवेदन स्वीकार किये गये और मंत्रियों द्वारा अपने विभागों से संबंधित 19 कागजात/अधिूसचना पेश किये गये।